भारत सरकार

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय

05 शक संवत् 1945
24 फरवरी 2024

प्रेस विज्ञप्ति

घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के परिणाम : 2022-23

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा अगस्त 2022 से जुलाई 2023 के दौरान घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) आयोजित किया गया । घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण का उद्देश्य देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समूहों के लिए पृथक रूप से घरेलू मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) एवं इसके वितरण का अनुमान तैयार करना है। एमपीसीई से संबंधित एचसीईएस: 2022-23 का सारांश परिणाम एक तथ्य पत्रक के रूप में जारी किया जा रहा है। एचसीईएस: 2022-23 का तथ्य पत्रक सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट (http://www.mospi.gov.in) पर उपलब्ध है। सर्वेक्षण की विस्तृत रिपोर्ट तदउपरांत जारी की जाएगी ।

एमपीसीई का आकलन , देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में फैले केंद्रीय प्रतिदर्शों के 2,61,746 परिवारों (ग्रामीण क्षेत्रों में 1,55,014 और शहरी क्षेत्रों में 1,06,732) से एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित है।

एचसीईएस: 2022-23 में, (i) घरेलू/ गृह -निर्मित भंडार और (ii) उपहार, ऋण, निःशुल्क संग्रहण तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रतिदान में प्राप्त की गई वस्तुओं के उपभोग के मूल्य निर्धारण की सामान्य पद्यति को जारी रखा गया है; एवं तदनुसार, एमपीसीई का आकलन किया गया है। यह आकलन खंड 'क' में प्रस्तुत किए गए हैं।

इसकेअतिरिक्त, विभिन्न सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से परिवारों द्वारा निःशुल्क प्राप्त और उपभोग की जाने वाली कई वस्तुओं के उपभोग की मात्रा के बारे में जानकारी एकत्र करने का प्रावधान एचसीईएस:2022-23 में किया गया है। फलस्वरूप, इन कार्यक्रमों के माध्यम से परिवारों द्वारा निःशुल्क प्राप्त (i) खाद्य पदार्थों: चावल, गेहूं/आटा, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, जौ, इत्यादि, दालें, चना, नमक, चीनी, खाद्य तेल और (ii) गैर-खाद्य पदार्थों: लैपटॉप/पीसी, टैबलेट, मोबाइल हैंडसेट,साइकिल, मोटर

साइकिल/स्कूटी, कपड़े (स्कूल यूनिफॉर्म), जूते (स्कूल जूते आदि) का मूल्य निर्धारण एक उचित विधि का उपयोग करके किया गया।।परिणामत:, इन वस्तुओं के अनुमानित मूल्यों एवं घरेलू उपज से उपभोग, निःशुल्क संग्रहण, उपहार, ऋण आदि से उपभोग की गई वस्तुओं को सम्मिलित करते हुए, एचसीईएस: 2022-23 के लिए एमपीसीई का एक अन्य प्राक्कलन किया गया। यह आकलन खंड 'ख' में प्रस्तुत किए गए हैं।

क. एमपीसीई का आकलन (एचसीईएस 2022-23 में विभिन्न सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से निःशुल्क प्राप्त वस्तुओं के अनुमानित मूल्यों को सम्मिलित किए बिना)

अखिल भारतीय स्तर पर, वर्तमान मूल्यों एवं 2011-12 के मूल्यों पर, संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि (एमएमआरपी[1]) का उपयोग करते हुए एचसीईएस :2022-23, एनएसएस 68वें (2011-12) और एनएसएस 66वें (2009-10) दौर के लिए एमपीसीई के औसत मूल्य को (सामाजिक हस्तांतरण के माध्यम से मुफ्त में प्राप्त वस्तुओं के अनुमानित मूल्यों को सम्मिलित किए बिना), नीचे तालिका 1 और तालिका 2 में प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 1: वर्तमान मूल्यों पर औसत एमपीसीई (रुपये) (निःशुल्क प्राप्त वस्तुओं के मूल्य निर्धारण के बिना)

सर्वेक्षण	अवधि	ग्रामीण	शहरी
एचसीईएस: 2022-23	अगस्त 2022- जुलाई 2023	3,773	6,459
68वां दौर(2011-12)	जुलाई 2011-जून 2012	1,430	2,630
66वां दौर (2009-10)	जुलाई 2009-जून 2010	1,054	1,984

तालिका 2 : 2011-12 मूल्यों पर औसत एमपीसीई (रु) (निःशुल्क प्राप्त वस्तुओं के मूल्य निर्धारण के बिना)

सर्वेक्षण	अवधि	ग्रामीण	शहरी
एचसीईएस:2022-23	अगस्त 2022- जुलाई 2023	2,008	3,510

[1] *संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि: घरेलू उपभोग व्यय (i) खाद्य तेल, अंडा, मछली और मांस, दूध और दूध उत्पाद, सब्जियां, फल, मसाले, पेय पदार्थ, जलपान, प्रसंस्कृत भोजन, पान, तंबाकू और नशीले पदार्थ का "पिछले 7 दिनों" की संदर्भ अवधि के दौरान किए गये उपभोग को दर्ज किया गया (ii) कपड़े और बिस्तर, जूते, शिक्षा, संस्थागत चिकित्सा देखभाल और टिकाऊ सामान का "पिछले 365 दिनों" की संदर्भ अवधि के दौरान किए गए उपभोग को दर्ज किया गया और (ii) अन्य सभी मदों का उपभोग "पिछले 30 दिनों" की संदर्भ अवधि के लिए दर्ज किया गया।*

68वाँ दौर (2011-12)	जुलाई 2011-जून 2012	1,430	2,630
66वाँ दौर (2009-10)	जुलाई 2009-जून 2010	1,238	2,359

ख. एमपीसीई का आकलन (एचसीईएस 2022-23 में विभिन्न सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से निःशुल्क@ प्राप्त वस्तुओं के आरोपित आकलित मूल्यों को सम्मिलित करते हुए)

अखिल भारतीय स्तर पर, वर्तमान मूल्यों एवं 2011-12 के मूल्यों पर, एचसीईएस :2022-23, एनएसएस 68वें (2011-12) और एनएसएस (2009-10) 66वें दौर के लिए एमपीसीई के औसत मूल्य (सामाजिक हस्तांतरण के माध्यम से मुफ्त में प्राप्त वस्तुओं के आकलित मूल्यों को सम्मिलित करते हुए) को नीचे तालिका-3 और तालिका-4 में प्रस्तुत किया गया हैं:

तालिका 3: मौजूदा मूल्यों पर औसत एमपीसीई (रुपये) (2022-23 के लिए निःशुल्क प्राप्त वस्तुओं के मूल्य निर्धारण के साथ)

सर्वेक्षण	अवधि	ग्रामीण	शहरी
एचसीईएस: 2022-23	अगस्त 2022- जुलाई 2023	3,860	6,521
68वां दौर(2011-12)	जुलाई 2011-जून 2012	1,430	2,630
66वां दौर (2009-10)	जुलाई 2009-जून 2010	1,054	1,984

तालिका 4 : 2011-12 मूल्यों पर औसत एमपीसीई (रु) (2022-23 के लिए निःशुल्क प्राप्त वस्तुओं के मूल्य निर्धारण के साथ)

सर्वेक्षण	अवधि	ग्रामीण	शहरी
एचसीईएस:2022-23	अगस्त 2022- जुलाई 2023	2,054	3,544
68वाँ दौर (2011-12)	जुलाई 2011-जून 2012	1,430	2,630
66वाँ दौर (2009-10)	जुलाई 2009-जून 2010	1,238	2,359

[टिप्पणी -:

@: भारत सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम -जीकेएवाई) या किसी अन्य राज्य विशिष्ट योजना के तहत प्राप्त मुफ्त खाद्य पदार्थों की उपभोग की जानकारी का एकत्रण और उपभोग की गई मुफ्त खाद्य पदार्थों के मूल्य का आकलन 30 दिनों की संदर्भ अवधि के लिए किया गया है।

परिवारों द्वारा कई सरकारी कार्यक्रमों आदि के माध्यम से निःशुल्क प्राप्त की जाने वाली गैर-खाद्य वस्तुओं जैसे लैपटॉप/पीसी, टैबलेट, मोबाइल हैंडसेट, साइकिल, मोटर साइकिल/स्कूटी, कपड़े (स्कूल यूनिफॉर्म), जूते (स्कूल जूते आदि) का मूल्य आकलन भी किया गया है । हालाँकि, इन वस्तुओं के लिये सर्वेक्षण में कार्यक्रमों के विशिष्ट नाम सुनिश्चित नहीं किए गये है।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) या किसी अन्य राज्य विशिष्ट योजनाओं के तहत , लाभार्थी को सवास्थ्य सेवाओं का नकदहीन लाभ, सवास्थ्य सेवा के केंद्र पर प्राप्त होगा, अर्थात, अस्पताल एवं लाभार्थी को सेवाओं के लागत की कोई जानकारी नहीं होती

है। ऐसी योजनाओं के लिए, सम्पूर्ण अधिमूल्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है एवं लाभार्थी का कोई योगदान नहीं देता है। चूंकि एचसीईएस एक दस्तावेज-आधारित सर्वेक्षण नहीं है ,इसलिए अक्सर यह पता लगाना संभव नहीं होता है कि किस बीमारी या रोग के लिए लाभ लिया गया है। इसलिए, ऐसी सेवाओं के व्यय का आकलन करने मे होने वाली जटिलता और उपयुक्तता को देखते हुए ,परिवारों द्वारा मुफ्त प्राप्त स्वास्थ्य सेवाओं के व्यय को आकलित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।
इन्हीं समान कारणों से, मुफ्त शिक्षा सेवाओं (यानि, स्कूल या कॉलेज की फीस की प्रतिपूर्ति/माफी) के व्यय को भी आकलित नहीं किया गया है।]